कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–36/2019–1029 दिनांक : 04/11/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/
उप वन संरक्षक, एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना जमशेदपुर/
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों वृक्षारोपण, वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन कार्य, नये ग्रास लैण्ड का निर्माण एवं Invasive weeds उन्मूलन कार्यों हेतु कुल **रू0 279.829 लाख (दो करोड़ उनासी लाख बेरासी हजार नौ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–38/2019–48/स्वी0 व0प0 दिनांक 22.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–38/2019–96/आ0 व0प0 दिनांक 23.10.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–61 वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 279.829 लाख (दो करोड़ उनासी लाख बेरासी हजार नौ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101610103	203.394
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101610323	76.435
कुल :–		**279.829**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/ उप वन संरक्षक/उप निदेशक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क)** से **(ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

F:\DEVELOPMENT\2019-20\Allotment\OA\Wildlife Conservation & Crime Control\S.O. No. 48 dt 22.10.2019 (2)\Advance work.doc

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101610103 तथा 19S240601101610323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृत के अनुरूप किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0बजट–36/2019**–1029 दिनांक– 04/11/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0बजट–36/2019**–1029 दिनांक– 04/11/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (क)

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 249.83

कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे0	30	7494.90	0.00	7494.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान– ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे0 औसतन 6 चेन	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भुगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	20	4996.60	0.00	4996.60	औसतन 200 पौधे प्रति हे0 रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9993.20	500.00	10493.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे0	6	1498.98	0.00	1498.98	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	15	3747.45		3747.45	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	499.66	960.40	1460.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2	499.66	0.00	499.66	
	योग–		130	32477.90	13243.14	45721.04	

नोटः–

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (वित्तीय वर्ष 2019–20 में मजदूरी दर रू0 249.83/– प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	2019–20 (प्रथम वर्ष)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।	1. **हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी:**– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बॉंस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण–अग्रिम कार्य।	600	3.103	2.750	5.853
		2. **कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी:**– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बॉंस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण–अग्रिम कार्य।	600	3.103	2.750	5.853
		3. **गौतमबुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी:**– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बॉंस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण–अग्रिम कार्य।	600	3.103	2.750	5.853
		4. **लावालौंग वन्यप्राणी आश्रयणी:**– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बॉंस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण–अग्रिम कार्य।	600	3.103	2.750	5.853
		5. **उधवा झील पक्षी आश्रयणी:**– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बॉंस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण–अग्रिम कार्य।	300	1.551	1.375	2.927
		हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :–		**13.963**	**12.377**	**26.340**
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, रॉंची।	**पालकोट वन्यप्राणी आश्रयणी:**– **(i)** पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बॉंस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण–अग्रिम कार्य।	300	1.551	1.375	2.927
		(ii) नये ग्रासलैंड का विकास–अग्रिम कार्य (5 हे0)	5	0.475	0.275	0.750
		रॉंची वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :–		**2.026**	**1.650**	**3.676**

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	2019–20 (प्रथम वर्ष)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
3	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।	**दलमा वन्यप्राणी आश्रयणीः–** **(i)** पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण–अग्रिम कार्य।	1670	8.636	7.655	16.292
		(ii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन–अग्रिम कार्य (70 हे0)	70	22.735	9.270	32.005
		गज परियोजना, जमशेदपुर का योग :–		**31.371**	**16.925**	**48.296**
4	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	**पलामू व्याघ्र आरक्षः–** **(i)** नये ग्रासलैंड निर्माण– अग्रिम कार्य (100 हे0)	100	9.494	5.500	14.994
		(ii) Invasive weeds उन्मूलन कार्य–प्रथम वर्ष (100 हे0)	221	19.324	0.000	19.324
		उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :–		**28.818**	**5.500**	**34.318**
5	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	**(i)** नये ग्रासलैंड निर्माण– अग्रिम कार्य (100 हे0)	100	9.494	5.500	14.994
		(ii) Invasive weeds उन्मूलन कार्य–प्रथम वर्ष। (100 हे0)	400	34.976	0.000	34.976
		(iii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन–अग्रिम कार्य (250 हे0)	250	81.195	33.108	114.303
		(iv) नेतरहाट में मैग्नीलिया प्वाईंट के परिवेश में मैग्नोलिया प्रजाति के पौधों का बॉस गैबियन के साथ पौधारोपण–अग्रिम कार्य।	300	1.551	1.375	2.927
		दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :–		**127.216**	**39.983**	**167.199**
		सकल योगः–		**203.394**	**76.435**	**279.829**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2 (ख)

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस–गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 249.83 रूपये

:. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83						
1	**घेरान कार्य**						
क	बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'–6'') एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस @ 80.00 रू. ; प्रति ग्रामीण बाँस) ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	320.00	**320.00**	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	249.83	0.00	**249.83**	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	49.97	6.00	**55.97**	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	74.95	90.00	**164.95**	
ड.	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढ़ो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.20	49.97	0.00	**49.97**	गर्म पेंट में डूबोकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा–एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)	प्रति गैबियन	0.20	49.97	15.00	**64.97**	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		**0.00**	
	(1) तार 100 ग्राम (67/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	**6.70**	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	**20.70**	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	42.47	0.00	**42.47**	
	योग		**2.07**	**517.15**	**458.40**	**975.55**	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ग)

प्रलामू ब्याघ्र आरक्ष में 1 हे0 वनभूमि में घासस्थलों के विकास एवं रख–रखाव कार्यों हेतु कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 249.83 रूपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83					
1	सर्वे एवं सीमाकन	3.00	749.49	0.00	**749.49**	
2	मध्यम घनत्व की झाड़ियाँ/वीड्स आदि	30.00	7494.90	0.00	**7494.90**	40-60% site occupation
3	स्थल की ट्रेक्टर द्वारा जुताई न्यूनतम 12" गहराई तक एवं जड़ तथा खूंटों की निकासी	5.00	1249.15	4000.00	**5249.15**	औसत 8 घंटा प्रति हे0 / 500/– प्रति घंटा
4	विविध व्यय, साइनेज आदि	0.00	0.00	1500.00	**1500.00**	
	योग	**38.00**	**9493.54**	**5500.00**	**14993.54**	

नोट (i) कार्य हेतु स्थलीय आवश्यकतानुसार स्थल विशिष्ट प्राक्कलन बनेगा, जिस पर सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(ii) चूँकि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2019–20 प्रारंभ हो चुका है, अतः इस वर्ष हेतु वर्षा ऋतु के प्रारंभ के पूर्व मात्र प्रथम जुताई करते हुए द्वितीय जुताई की 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी तथा इस वर्ष का कार्य अग्रिम–सह– समापन कार्य के नाम से जाना जाएगा।

(iii) यह सुनिश्चित करें कि इस कार्य में कदापि रसायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(iv) औसतन 1 हे0 से 4 हे0 क्षेत्रफल तक के घास स्थल की स्थापना एक स्थल पर की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 मैं व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/1029 दिनांक - 04-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70635	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	1,396,300.00 रुपये तेरह लाख छ्यानवे हजार तीन सौ
2	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70636	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	202,600.00 रुपये दो लाख दो हजार छः सौ
3	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70637	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	3,137,100.00 रुपये इकतीस लाख सैतीस हजार एक सौ

योग: 4,736,000.00

क्रमिक योग: रुपये सैतालीस लाख छत्तीस हजार

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.249 [redacted]

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70638	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	2,881,800.00 रुपये अठाइस लाख इक्कयासी हजार आठ सौ
5	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70639	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	12,721,600.00 रुपये एक करोड सत्ताइस लाख इक्कीस हजार छः सौ
6	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70641	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	1,237,700.00 रुपये बारह लाख सैंतीस हजार सात सौ

योग: 16,841,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड पंद्रह लाख सित्योत्तर हजार एक सौ 21,577,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/1029 दिनांक - 04-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70642	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	165,000.00 रुपये एक लाख पैसठ हजार
8	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70643	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	1,692,500.00 रुपये सोलह लाख बयानवे हजार पाँच सौ
9	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Centeral Scheme : NA	70646	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	550,000.00 रुपये पाँच लाख पचास हजार

योग: 2,407,500.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उनचालीस लाख चौरासी हजार छः सौ 23,984,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.249

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/1029 दिनांक - 04-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	70648	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	3,998,300.00 रुपये उनचालीस लाख अठानवे हजार तीन सौ

State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341)
Centeral Scheme : NA

योग: 3,998,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उन्नासी लाख बयासी हजार नौ सौ 27,982,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.249 Run Date : 4/11/2019